

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45389 वर्ष 2025

दीपू उर्फ दीपू तोमर

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	गणेश शंकर शुक्ला, हरि ओम पाण्डेय
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश शंकर शुक्ला तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदक दीपू उर्फ दीपू तोमर की ओर से थाना लिंक रोड, जिला गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 324 में विचारण की लम्बितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुराशय से इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। एक मामले के आपराधिक इतिहास का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (b) में परिगणित गिरोह की गतिविधियों का दुष्प्रेरण या सहयोग नहीं किया है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या गवाहों से छेड़छाड़ करने की भी कोई सम्भावना नहीं है। दिनांक 23.11.2025 से कारागार में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निरुद्ध आवेदक यह वचन देता है कि यदि स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की अत्यधिक लम्बितता के दृष्टिगत विचारण के शीघ्र समापन की कोई सम्भावना नहीं है।

प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचना का विरोध किया है, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाये गये मामलों के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया है।

तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 19(4) के उपबंध को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, मेरी राय में यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

आवेदक दीपू उर्फ दीपू तोमर को उपरोक्त वाद अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:-

- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्य न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से विरत करने के उद्देश्य से उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद प्रारम्भ, (ii) आरोप-विरचन एवं (iii) भा०न०सु०सं० की धारा 351 के अधीन बयान अभिलिखित करने के लिए तय की गई तारीखों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तब गवाही के लिए तय की गई तारीखों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक तय की गई प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में वह जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कोई भी वक्तव्य केवल इस जमानत आवेदन के विनिश्चय के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कहे गये किसी भी वक्तव्य से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतन्त्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

20 जनवरी, 2026

विनोद/

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।